रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2012/चैत्र 13, 1934

No. 157] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2012/CHAITRA 13, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 279(अ).—केन्द्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2012 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 में, नियम 24 के पश्चात्, अंत में निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

   "25. किसी निर्वाचन को शून्य घोषित करने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, किसी निर्वाचन के लिए, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट किए गए किसी निर्वाचन विवाद के संबंध में, निर्वाचन को रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव या ऐसे अन्य भ्रष्ट आचरण के कारण, जिसने केन्द्रीय सरकार की राय में, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन पर हस्तक्षेप किया है, शून्य घोषित कर सकेगी ।

   (2) इस नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।"

[फा. सं. जेड-28016/01/2012-एचपीसी]

विक्रम सिंह गौड़, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में, संख्या सा.का.नि. 611, तारीख 17 मई, 1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सं. का.आ. 725, तारीख 11 मार्च, 1978 और सं. सा.का.नि. 576(अ), 29 सितंबर, 1982 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy]

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2012

G.S.R. 279(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 32 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government hereby makes the following rule to amend the Homoeopathy Central Council (Election) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Homoeopathy Central Council (Election) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Homoeopathy Central Council (Election) Rules, 1975, after Rule 24, the following rule shall be added at the end, namely :—

"25. Power to declare any election void—(1) The Central Government may, on any election dispute referred to it under sub-section (2) of Section 4 of the Act, for an election, within a period of thirty days from the date of election of the elected candidate, declare the election to be void on account of bribery, undue influence or other corrupt practice which, in the opinion of the Central Government, has interfered with the free and fair conduct of the election and shall conduct a fresh election.

(2) The decision of the Central Government under this rule shall be final."

[F. No. Z-28016/01/2012-HPC]

VIKRAM SINGH GAUR, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 611, dated the 17th May, 1975 and subsequently amended *vide* number S.O. 725, dated the 11th March, 1978 and number G.S.R. 576(E), dated the 29th September, 1982.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.